बिहार सरकार
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)
तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014;

संख्या– FC/58/2022- 498

प्रेषक,

अरविन्दर सिंह, भा०व०से०
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय)
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
राँची, पिन–834002

पटना 14, दिनांक– 13/07/2023

विषय– श्रीमती रीता कुमारी भारती द्वारा पूर्णियाँ जिलान्तर्गत जियनगंज मौजा के खाता संख्या–769, प्लॉट संख्या–2796, थाना संख्या–101, थाना–सरसी में NH-107 पूर्णियाँ–मधेपुरा–सहरसा पथ के किनारे IOCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.03975 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में।

प्रसंग– पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, भारत सरकार, राँची का पत्रांक FP/BR/Approach/155848/2022/623, दिनांक 18.10.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में वन प्रमंडल पदाधिकरी, पूर्णियाँ वन प्रमंडल, पूर्णियाँ के पत्रांक 1175, दिनांक 16.05.2022 (छायाप्रति संलग्न) के साथ संलग्न वनों के क्षेत्र पदाधिकारी का पत्रांक 255, दिनांक 06.04.2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा सूचित किया गया है कि परियोजना स्थल पर रिटेल आउटलेट निर्माण के क्रम में आगम–निर्गम पथ के निर्माण में एक भी वृक्ष काटे बिना एवं बिना स्थल परविर्तन किये परियोजना के आगम–निर्गम पथ का निर्माण किया जा सकता है।

2. वन संरक्षक, पूर्णियाँ अचंल, पूर्णियाँ के पत्रांक 632, दिनांक 01.07.2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा सूचित किया गया है कि 08 (आठ) वृक्ष को बिना काटे एवं बिना स्थल परिवर्तन किए, आउटलेट में रास्ते से प्रवेश एवं निकासी का मार्ग बनाया जा सकता है। इस प्रकार परियोजना निर्माण के क्रम में वृक्षों का पातन नहीं किया जाना है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त को स्वीकार करते हुए विषयगत प्रस्ताव पर अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/–
(अरविन्दर सिंह)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक FC/58/2022- 498 दिनांक– 13/07/2023

प्रतिलिपि : : सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(अरविन्दर सिंह)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

Email-apccfcampa.bih@gmail.com; मो० 8986153125

ज्ञापांक FC/58/2022- 498 दिनांक– 13/07/2023

प्रतिलिपि : श्रीमती रीता कुमारी भारती, पति–श्री बिपिन कुमार, ग्राम+पोस्ट–जियानगंज, थाना–सरसी, जिला–पूर्णियाँ, पिन–848306 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० 13/7/23

(अरविन्दर सिंह)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

Email-apccfcampa.bih@gmail.com; मो० 8986153125

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग

कार्यालय–वन संरक्षक, पूर्णियाँ अंचल, पूर्णियाँ।

पत्र संख्या :– 632

प्रेषक :– डॉ0 एस0 कुमारासामी, भा.व.से.,
वन संरक्षक,
पूर्णियाँ अंचल, पूर्णियाँ।

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–
नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना
आवक संख्या 564
दिनांक 04/07/2023
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

पूर्णियाँ, दिनांक :– 01/07/2023

विषय :– श्रीमती रीता कुमारी भारती द्वारा पूर्णियाँ जिलान्तर्गत जियनगंज मौजा के खाता संख्या – 769, प्लॉट संख्या – 2796, थाना संख्या – 101, थाना – सरसी में NH-107 पूर्णियाँ–मधेपुरा–सहरसा पथ के किनारे IOCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् 0.03975 हे0 वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग :– भवदीय पत्रांक – 415 दिनांक 08.06.2023

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में मौजा– जियनगंज, थाना संख्या – 101, खाता संख्या – 769, प्लॉट सं0 – 2796, क्षेत्र – 1575 sq.mtr. लगभग में इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, (वि0 प्र0) का आउटलेट निर्माण संबंधी स्थल का स्थलीय जाँच 27.06.2023 को मेरे द्वारा किया गया। प्रस्तावित स्थल पूर्णियाँ–मधेपुरा–सहरसा सड़क में सरसी लगभग 4 कि0मी0 की दूरी पर जियनगंज पंचायत में वार्ड नम्बर – 03 बडझर्रा मुशहरी के पास सड़क के उत्तर भाग में अवस्थित है। प्रस्तावित स्थल के दक्षिण भाग में सरसी–बनमनखी (पूर्णियाँ–मधेपुरा–सहरसा) पक्की सड़क, उत्तर एवं पूरब भाग में कृषि योग्य जमीन एवं पश्चिम भाग में किशोर कुमार यादव का कृषि योग्य जमीन है। रिटेल आउटलेट स्थल का सामने वाला हिस्सा (पक्की सड़क की ओर से) 35 मीटर लम्बा है। जिसमें पश्चिम भाग में प्रवेश मार्ग (Entrance Road) पश्चिम किनारे से 7.5 मीटर चौड़ाई में खम्भा गाड़कर चिन्हित किया गया (Photograph संलग्न)। पूरब भाग में अन्तिम सीमा से निकासी मार्ग (Exit Road) के लिए 7.5 मीटर

चौड़ाई में खम्भा गाड़कर चिन्हित किया गया (Photograph संलग्न)। आउटलेट के प्रवेश एवं निकासी मार्ग का 7.5m x 2 = 15 मीटर छोड़कर शेष मध्य भाग 20 मीटर में कुल 08 (आठ) वृक्ष हैं, जिन्हें बिना काटे एवं बिना स्थल परिवर्त्तन किए, आउटलेट में रास्ते से प्रवेश एवं निकासी का मार्ग बनाया जा सकता है। स्थलीय जाँच से स्पष्ट है कि वृक्ष को काटने की कोई आवश्यकता नहीं है। निकासी मार्ग के किनारे पूरब सीमा के पास एक 75 cm मोटा अर्जुन प्रजाति का वृक्ष है, उसे भी बिना काटे एवं बिना स्थानांतरित किए निकास मार्ग बनाया जा सकता है।

अतः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0–प्रस्तावित स्थल का
Photograph संलग्न।

विश्वासभाजन,

1/7/2023

वन संरक्षक,
पूर्णियाँ अंचल, पूर्णियाँ।

Trees Present in between Exit and Entry

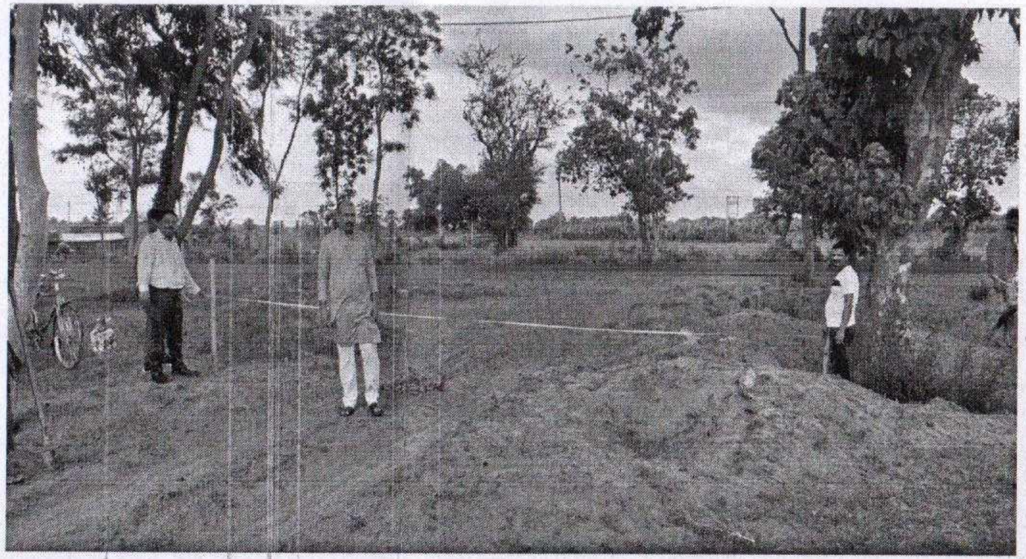

Exit Road (Exit)

Proposed Site View

Entrance road (Entry)

1/7/2023
Conservator of Forest
Purnea Circle, Purnea

बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

कार्यालय :- वन प्रमंडल पदाधिकारी, पूर्णियाँ वन प्रमंडल, पूर्णियाँ।

नियर निरजा चौक, पुलिस लाइन के सामने पो०+जिला–पूर्णियाँ - 854301 Ph. No.- 06454242744

पत्र संख्या :- 1125

प्रेषक :- भरत चिन्तपल्लि, भा.व.से.,
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
पूर्णियाँ वन प्रमंडल, पूर्णियाँ।

सेवा में,

उप वन संरक्षक (कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।

पूर्णियाँ, दिनांक – 16/05/2023

विषय :- श्रीमती रीता कुमारी भारती द्वारा पूर्णियाँ जिलान्तर्गत जियनगंज मौजा के खाता संख्या–789, प्लॉट संख्या–2796, थाना संख्या–101, थाना–सरसी में NH-107 पूर्णियाँ–मधेपुरा–सहरसा पथ के किनारे IOCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.03975 हे. वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में।

प्रसंग :- उप वन संरक्षक (कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग), बिहार, पटना का पत्रांक–FC/58/2022-964 दिनांक–08.11.2022 एवं वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, बनमनखी का पत्रांक–255 दिनांक–06.04.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी श्रीमती रीता कुमारी भारती द्वारा पूर्णियाँ जिलान्तर्गत जियनगंज मौजा के खाता संख्या 789, प्लॉट संख्या–2796, थाना संख्या–101, थाना–सरसी, NH-107 पथ के किनारे IOCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.03975 है० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति हेतु 05 वृक्षों के पातन एवं 03 वृक्षों के प्रतिस्थापन के आलोक में प्रतिवेदन की माँग की गई थी। उक्त के आलोक में वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, बनमनखी के प्रासंगिक पत्र **(छायाप्रति संलग्न)** द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में उल्लेखित किया गया है कि परियोजना स्थल पर रिटेल आउटलेट निर्माण के क्रम में आगमन–निर्गम पथ के निर्माण में एक भी वृक्ष काटे बिना एवं बिना स्थल परिवर्तन किये परियोजना के आगमन–निर्गम पथ का निर्माण किया जा सकता है। उक्त जाँच प्रतिवेदन में यह स्पष्ट है कि परियोजना निर्माण हेतु किसी भी वृक्ष को काटने की आवश्यकता नहीं है।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन
16/5/23
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
पूर्णियाँ वन प्रमंडल, पूर्णियाँ
16/05/23

बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

कार्यालय :– वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, बनमनखी प्रक्षेत्र, पूर्णियाँ।

कोशी कॉलोनी,बनमनखी (पूर्णियाँ) 854202

पत्रांक : 255 दिनांक : 06/04/2023

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
पूर्णियाँ वन प्रमंडल, पूर्णियाँ।

विषय :– **मौजा–जियनगंज, थाना–सरसी, थाना सं0–101, खाता स0–769, प्लॉट स0–2796, क्षेत्रफल–1575 Sq. Mtr. जिला–पूर्णियाँ में इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (वि0प्र0) का आउटलेट के निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र के संबंध में।**

प्रसंग :– भवदीय पत्र संख्या–415, दिनांक–17.02.2023

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक मे मौजा–जियनगज, थाना–सरसी, थाना संख्या–101, खाता स0–769, प्लॉट स0–2796, क्षेत्र–1575 sq.mtr. लगभग मे इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, (वि0 प्र0) का आउटलेट निर्माण संबंधी स्थल का स्थलीय जाँच मेरे द्वारा किया गया। प्रस्तावित स्थल सरसी–बनमनखी पक्की सड़क में सरसी से लगभग 4 कि0मी0 की दूरी पर जियनगंज पंचायत में वार्ड नम्बर–03 बड़झर्रा मुशहरी के पास सडक के उत्तर भाग में अवस्थित है। प्रस्तावित स्थल के दक्षिण भाग में सरसी–बनमनखी पक्की सड़क, उत्तर एव पूरब भाग में कृषि योग्य निजी जमीन एवं पश्चिम भाग मे किशोर कुमार यादव का कृषि योग्य जमीन है। रिटेल आउटलेट स्थल का सामने वाला हिस्सा (पक्की सडक की ओर से) 35 मीटर लम्बा है। जिसमे पश्चिम भाग मे प्रवेश मार्ग (Entrance Road) पश्चिम किनारे से 7.5 मीटर में खम्भा गाड़कर चिन्हित किया गया (GPS Photograph संलग्न)। पूरब भाग में अन्तिम सीमा से निकासी मार्ग (Exit Road) के लिए 7.5 मीटर पर खम्भा गाड़कर चिन्हित किया गया (GPS Photograph संलग्न)। आउटलेट के प्रवेश एवं निकासी मार्ग का 7.5m X 2= 15मी0 छोडकर शेष मध्य भाग 20 मीटर में कुल 08 (आठ) वृक्ष है, जिन्हें बिना काटे एवं बिना स्थल परिवर्त्तन किए, आउटलेट में रास्ते से प्रवेश एवं निकासी का मार्ग बनाया जा सकता है। स्थलीय जाँच से स्पष्ट है कि वृक्ष को काटने की कोई आवश्यकता नहीं है। निकास मार्ग के किनारे पूरब सीमा के पास एक 75 cm मोटा अर्जुन प्रजाति का वृक्ष है उसे भी बिना काटे एवं बिना स्थानान्तरित किए निकास मार्ग बनाया जा सकता है। इस वृक्ष को सुरक्षित रखने हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी को निदेशित किया जा सकता है। वर्त्तमान में प्रस्तावित स्थल पर लगभग 4 फीट ऊँचाई तक मिट्टी भरा हुआ है। आउटलेट के मध्य भाग में (प्रस्तावित स्थल के सामने वाले भाग में पक्की सडक की ओर से प्रवेश एव निकास मार्ग छोड़कर शेष मध्य भाग 20 मीटर में) लगे वृक्षों की विवरणी निम्नवत् है–

P.T.O.

नजरी नक्शा

मौजा :- जियनगंज
थाना नं० :- 101
अंचल :- बनमनखी
राजस्वथाना :- धमदाहा
परगना :- धरमपुर
जिला :- पूर्णियाँ

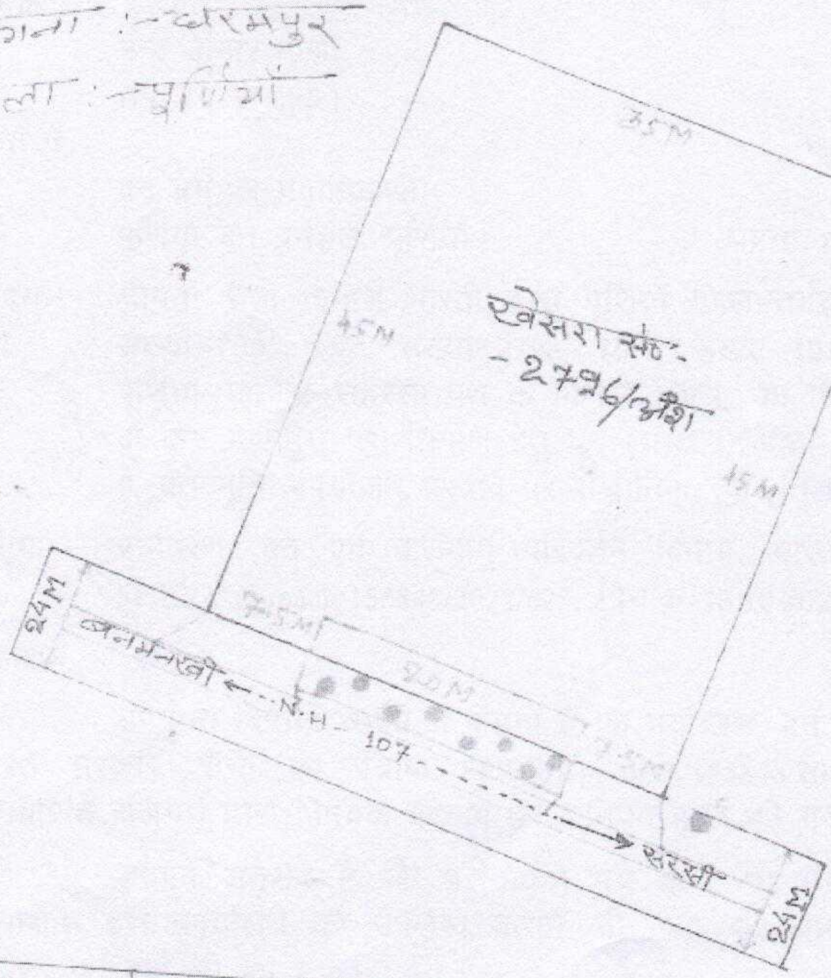

खाता सं०	खेसरा सं०	रकबा	चौहद्दी	स्थल नापी विवरण
769 (सात सौ उनहत्तर)	2796 (दो हजार सात सौ छियानवे)	1575 वर्ग (पन्द्रह सौ पचहत्तर वर्गमीटर)	उ०:- निज अंश खेसरा द०:- एन०.एच०-107 पु०:- निज अंश खेसरा प०:- निज अंश खेसरा	उ० आल :- 35 मीटर द० आल :- 35 मीटर पु० आल :- 45 मीटर प० आल :- 45 मीटर

संकेत :- प्रस्तावित पैट्रोल पम्प के लिए चिन्हित किये गये जमीन के सामने N.H-107 पक्की रोड के किनारे 8+1 = 09 (नौ) वृक्ष पड़ता है। जो वृक्ष के स्थल को लाल स्याही से ● वृत्ताकार चित्र बनाकर इस नजरी नक्शा में दिखाया गया है।

नोट :- प्रस्तावित भूमि में N.H-107 से अन्दर जाने के लिए दोनो किनारे 7.5 मीटर का रास्ता रखा गया है जिससे कोई पेड़ नहीं पड़ता है। बिच की 20 मीटर जमीन में आठ वृक्ष एवं पूर्वी

भू मापक
रूपेश कुमार यादव
बेला - चौदपुर
सरसी - पूर्णियाँ